

बिहार सरकार  
निर्वाचन विभाग

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय  
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगलस रोड), पटना-800015.

ई-मेल / विशेषदूत

फोन नं० :- 0612-2217352

फैक्स नं० :- 0612-2215611

ई-मेल :- ceo\_bihar@eci.gov.in

पत्रांक - ई०एल०एस०-35/2019

934

पटना, दिनांक 19 मार्च, 2020 ई०।

प्रेषक

आलोक कुमार,  
उप सचिव।

सेवा में

श्री विमलेश कुमार झा,  
सरकार के अपर सचिव,  
गृह विभाग (विशेष शाखा),  
बिहार, पटना।

विषय :- बिहार विधान सभा चुनाव, 2015 में प्रतिनियुक्ति के दौरान मृत स्व० जवाहर यादव, गृह रक्षक सं०-10042 के आश्रित को अनुग्रह अनुदान की राशि के भुगतान के संबंध में।

प्रसंग :- (1) आपका पत्रांक-एल/एच०जी०-05-08/2017-2385 दिनांक 12.03.2020.  
(2) इस कार्यालय का पत्रांक 785 दिनांक 03.03.2020.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों का कृपया संदर्भ किया जाये। श्री जवाहर यादव, गृह रक्षक सं०-10042 के अनुग्रह अनुदान संबंधी मामले में कृत कार्रवाई से संबंधी सूचना इस कार्यालय के पत्रांक 785 दिनांक 03.03.2020 द्वारा श्री उमेश प्रसाद रजक, अवर सचिव, गृह विभाग (विशेष शाखा) को पूर्व में ही भेज दी गयी है।

निदेशानुसार उक्त पत्र की प्रति पुनः संलग्न कर भेजी जा रही है।  
कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाये।

अनु० : यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

(आलोक कुमार)  
उप सचिव।

19.3.2020

“मजबूत लोकतंत्र-सबकी भागीदारी”

बिहार सरकार  
निर्वाचन विभाग

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय  
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना-800015.

ई-मेल

फोन नं० :- 0612-2217352  
फैक्स नं० :- 0612-2215611  
ई-मेल :- ceo\_bihar@eci.gov.in

पत्रांक - ई०एल०एस०-35/2019 785 पटना, दिनांक 03 मार्च, 2020 ई०।

प्रेषक

आलोक कुमार,  
उप सचिव।

सेवा में

जिला निर्वाचन पदाधिकारी  
-सह-जिला पदाधिकारी, गया।

विषय :- बिहार विधान सभा चुनाव, 2015 के दौरान चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त स्व० जवाहर यादव, गृह रक्षक सं०-10042 के आश्रिता को अनुग्रह अनुदान की अस्वीकृति के संबंध में।


प्रसंग :- (1) इस कार्यालय का पत्रांक 7915 दिनांक 22.11.2019 एवं पत्रांक 293 दिनांक 21.01.2020  
(2) आपका पत्रांक 122/निर्वा० दिनांक 27.02.2020.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों का कृपया संदर्भ किया जाये। आपके पत्रांक 122/निर्वा० दिनांक 27.02.2020 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री जवाहर यादव, गृह रक्षक सं०-10042 की मृत्यु एवं निर्वाचन कर्तव्य के बीच Casual Connection नहीं बनता है, जिसके फलस्वरूप मृतक श्री जवाहर यादव के आश्रित को अनुग्रह अनुदान का लाभ नहीं दिया जा सकता है। इस क्रम में आपके प्रासंगिक पत्र द्वारा उनके आश्रित द्वारा समर्पित दावे को अस्वीकृत करने की अनुशंसा की गयी है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में निदेशानुसार सूचित करना है कि श्री जवाहर यादव, गृह रक्षक सं०-10042 के अनुग्रह अनुदान संबंधी प्रस्ताव को अस्वीकृत किया जाता है।

विश्वासभाजन


  
3.3.2020  
(आलोक कुमार)  
उप सचिव।

ज्ञापांक :

785

पटना, दिनांक 03 मार्च, 2020 ई०।

प्रतिलिपि:- श्री उमेश प्रसाद रजक, अवर सचिव, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
3.3.2020  
(आलोक कुमार)  
उप सचिव।

“मजबूत लोकतंत्र-सबकी भागीदारी”